

31-8-2022

पत्रावली भेजा हुई। वकील पक्षाद्वारा उपस्थित।
प्राथमिक के वकील ने प्राथमिक द्वारा इस प्रार्थना
पत्र को आगे नहीं चलाना चाहने के कारण
Not Press किया है। अतः प्राथमिक को यह
प्रार्थना पत्र जश्ने Not Press आविज किया
जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली के साथ
शुक्रवार दोपहर नम्बर के पत्र के। d

अति. जिला कलक्टर
सिरसेही (राज.)

Not Press
/ 25

